न्यायालय , अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–04, झांसी।

सरकार––––बनाम––––––बाबूलाल आदि।

सत्र वाद सं०–189/2018

धारा–452, 308, 323, 506, 325 भा०दं०सं०
थाना–मऊरानीपुर, जिला–झांसी।
मु०अ०सं०–292/2018

आदेश

दिनांक–05.01.2022 **सत्र वाद सं०–189/2018**

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त की हाजिरी जरिये स्थगन प्रार्थनापत्र केवल आज हेतु स्वीकृत। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते साक्ष्य नियत है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण को अन्य सत्र वाद को समेकित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–21.11.2019, 28.11.2019 व 06.02.2020 को साक्षी पी०डब्ल्यू०–01 हरिश्चन्द्र की साक्ष्य अंकित की गई जिसमें सत्र परीक्षण सं०–189/2018 व सत्र परीक्षण सं०–262/2019 समेकित कर साक्ष्य अंकित की गई है। चूंकि सत्र परीक्षण सं० –262/2019 सरकार बनाम धर्मेन्द्र , धारा–452, 308, 323, 325, 506 भा०दं०सं०, अपराध सं०–232/2018, थाना–मऊरानीपुर, झांसी उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित है। दोनों प्रकरण एक ही अपराध संख्या से सम्बन्धित है तथा दोनों प्रकरण की साक्ष्य एक साथ अंकित की गई परन्तु उक्त पत्रावली समेकित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में दोनों प्रकरण को एक साथ समेकित कर विचारण किया जाने का निवेदन किया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी०डब्ल्यू०–01 हरिश्चन्द्र की साक्ष्य सत्र परीक्षण सं० –189/2018 व सत्र परीक्षण सं०–262/2019 दोनों प्रकरणों को समेकित कर अंकित की गई है। प्रस्तुत प्रकरणों को औपचारिक रूप से समेकित किया जाना है। सत्र वाद सं० –189/2018 को अग्रणी प्रकरण (लीडिंग केस) बनाते हुए सत्र परीक्षण सं०–262/2019 के साथ समेकित किया जाता है। सत्र परीक्षण सं०–262/2019 अग्रणी प्रकरण सत्र परीक्षण सं०–189/2018 के साथ अग्रिम नियत तिथि 20.01.2022 को वास्ते साक्ष्य पेश हो। आदेश की एक प्रति सत्र वाद सं०–262/2019 की पत्रावली पर रखी जाये।

तदनुसार प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांक–05.01.2022

(नीतू यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–4, झाँसी।
JO Code–UP06381